

83



सम्क्षान् न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर म०प्र०

विगशनी 1236-I-15 पुनरीक्षण याचिका क्र०-----/2015

अपीलार्थीगण :

- ११॥ ललिता पारधी पति डा० कैलाश पारधी,
- १२॥ आभाष पिता स्व० डा० कैलाश पारधी,
- १३॥ वैभव पिता स्व० डा० कैलाश पारधी तीनों निवासी- वार्ड क्रमिक 08 वारासिवनी, जिला बालाघाट म०प्र० डा० कैलाश पारधी के वारिसान ॥

श्री. राजेश चतुर्वेदी कृषि
 द्वारा आज दि. 29.5.15 को
 प्रस्तुत
[Signature]
 राजस्व मण्डल न.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

अनावेदकगण :

- ११॥ श्रीमती सुनीता विधवा सोमनाथ
- १२॥ कुमारी बीषा पिता सोमनाथ
- १३॥ कुमारी आशु पिता सोमनाथ
- १४॥ तेजेश कुमार पिता सोमनाथ
- १५॥ कुमारी जीषु पिता सोमनाथ
- वली मां श्रीमती सुनीता विधवा सोमनाथ निवासी ग्राम असेरा तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट म०प्र० सोमनाथ के वारिसान ॥

[Signature]
Dehatmukh
29/5/15
[Signature]
 म.प्र. 2015

- १६॥ कमलेश पिता टालसिंह पारधी
- १७॥ श्रीमती भीमा बाई विधवा स्व० प्रेमशंकर पारधी,
- १८॥ खिलेन्द्र उर्फ पिटी पिता स्व० प्रेमशंकर पारधी
- १९॥ बसंत पिता स्व० प्रेमशंकर पारधी

RECEIVED
राजस्व मण्डल न.प्र. ग्वालियर

[Signature]
निक

3

- §10§ निर्मल पिता स्व० प्रेमशंकर पारधी
§11§ कुमारी भारती पिता स्व० प्रेमशंकर पारधी
निवासी- ग्राम चिचोली जिला बालाघाट
§ प्रेमशंकर के वारसान §
- §12§ चित्रसेन पिता केदारनाथ
§13§ भूपेन्द्र पिता केदारनाथ
§14§ परेन्द्र पिता केदारनाथ
✓ §15§ सेवकनबाई पति डोमा जी,
निवासी - ग्राम दीनाटोला तहसील बैहर
जिला बालाघाट म०प्र०
§ केदारनाथ के वारसान §

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता/ आवेदक गण माननीय न्यायालय के सम्क्ष न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 629/ए-6/97-98 में पारित आदेश दिनांक 15.4.2015 के विरुद्ध यह अत्र पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर रहे है प्रश्नाधीन आदेश के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी वारासिवनी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 38/अ-6/93-94 में पारित आदेश दिनांक 16.1.1997 एवं तहसीलदार वारासिवनी द्वारा सशोधन पंजी की प्रविष्टि क्रमांक 103 में दिया गया आदेश दिनांक 15.10.1992 को निरस्त कर प्र अनावेदकगणों की अपील स्वीकार कर ली गई है :-

II प्रकरण के तथ्य II
=====


§1§ अधिनस्थ न्यायालय माननीय तहसील 15.10.92 को सशोधन पंजी में सभी आवेदक के उपरान्त सशोधन क्रमांक 103 के अन्तर्गत गये । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि त

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 1236-एक/15

जिला - बालाघाट

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/3/18	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं अनावेदक क्रं0 6 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की प्रचलनशीलता पर की गई आपत्ति पर विचार किया गया । आपत्ति के साथ संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15-4-15 के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा कार्यवाही करते हुए उभयपक्षों को सुनने के उपरांत दिनांक 16-3-16 द्वारा अभिलेख दुरुस्त किया जा चुका है । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदिका द्वारा तहसीलदार, वारासिवनी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी, वारासिवनी के समक्ष अपील क्रमांक 0143/अ-6/16-17 लंबित है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी निरर्थक हो गई है, जिसे आगे चलाए रखने का कोई औचित्य नहीं है । अतः यह निगरानी निरर्थक हो जाने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है ।</p>	<p style="text-align: right;"> प्रशा0 सदस्य</p>